# कार्यालय सहायक संचालक

## नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा–रायसेन (म0प्र0)

क्रमांक / 1897 / विअ / न0ग्रा0नि0 / 2010 विदिशा, दिनांक 16/12/10

प्रति,

श्री सतीश कुमार अग्रवाल आ0 राम किशन उडला
निवासी रायसेन

जिलाः – रायसेन (म0प्र0)

विषय : कस्बा रायसेन की भूमि खसरा क्रमांक 654 में से रकबा 140.0 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय उपयोग हेतु विकास अनुज्ञा बावत् ।

संदर्भ : आपका आवेदन पत्र दिनांक 2.12.10

———0———

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भ में कस्बा रायसेन की भूमि खसरा क्रमांक 654 में से रकबा 140.0 वर्ग मीटर भूमि वाणिज्यिक उपयोग हेतु इस कार्यालय से विकास अनुज्ञा चाहा गया है । रायसेन विकास योजना में प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान वाणिज्यिक भू – उपयोग में निर्दिष्ट है। अतः प्रश्नाधीन भूमि पर स्वयं का वाणिज्यिक उपयोग हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा म0प्र0 30 (1) (ख) एवं म0 प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (1) के प्रावधान अनुसार निम्न शर्तों के आधार पर विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. निम्नलिखित अधिनियम /नियम / सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा ।
   1. मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959
   2. भू–अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर , रायसेन
   3. नजूल अधिकारी रायसेन
   4. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल
   5. जल संसाधन विभाग ( बांध नहर नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)
   6. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/ निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उपविभाजन मान्य नही होगा।
3. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख मार्ग के मध्य से 18.00 मीटर मार्ग विस्तार हेतु भूमि छोड़ने के पश्चात् ही निर्माण करना होगा। एवं इसके संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग / लोक निर्माण विभाग के मापदंडों के अनुसार मार्ग चौड़ाई / मार्ग विस्तार मान्य होगा।

Supportive

प्रश्नाधीन भूमि में निर्मित क्षेत्र मानचित्र में दर्शाये 60% अनुसार मान्य होगा।

5. एफ. ए. आर. 1.00 तथा भवन की अधिकतम ऊंचाई 12.00 मीटर ।

6. एम.ओ. एस. निम्नानुसार है :–

सामने – 3.00 मीटर पीछे – 2.5 मीटर आजू – 2.50 मीटर

हेतु भूमि छोडना आवश्यक होगा ।

7. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानो के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।

8. विद्युत लाइन के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

9. म0 प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग / रूफवाटर हार्वेस्टिंग की प्रकिया अपनानी होगी ।

10. किसी भी प्रकार की भूमि वाद–विवाद होनें पर यह स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।

11. इस अनुज्ञा को भू – स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें।

12. यह अभिमत अहस्तांतरणीय होगी तथा यह अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नही होगा।

13. प्रश्नाधीन भूमि /भूखण्ड पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें एवं भवन अनुज्ञा/ अनुमति नगर पालिका रायसेन से प्राप्त की जाना होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्तो का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत् रिवोक कर दी जावेगी ।

Sujeet

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय विदिशा

पृष्ठ क्रं./ 1898 to 1899 / विअ/नग्रानि/10

विदिशा दिनांक 16/12/10

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी , रायसेन की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका रायसेन की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Sujeet

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय विदिशा